न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण GCMS NO 2001/00010
दायरा तिथि : 19.06.2001
निर्णय तिथि : 01-12-25

वादीगण :–

1. नेनमल पुत्र स्व. कपुरजी आयु बालिग
2. देवाराम पुत्र स्व0 कपुरजी आयु बालिग
3. स्व0 दिनेशकुमार पुत्र स्व. कपुरजी के कायम मुकामः–
   3/1 मन्जु विधवा स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग
   3/2 सिंकी पुत्री स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग
   3/3 प्रियंका पुत्री स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग
   3/4 किरण पुत्री स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग जातिगण ब्राहमण निवासीगण भाटुन्द तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1–शंकरलाल पुत्र मानाजी के कायम मुकाम
  1/1–तारा पुत्री शंकरलाल आयु बालिग
2 – स्व धनाराम पुत्र स्व. मानाजी के कायम मुकाम
  2/1 – लखमाराम पुत्र धनाजी के कायम मुकाम
    2/1/1– पानी पुत्री स्व. लखमाराजी आयु बालिग
    2/1/2 – कमलेश कुमार पुत्र लखमारामजी आयु बालिग
    2/1/3 – निरूपा पुत्री स्व लखमारामजी आयु बालिग
    2/1/4 – उषा पुत्री स्व लखमारामजी आयु बालिग
  2/2– देवारीाम पुत्र स्व धनाजी आयु बालिग
  2/3– गणेशराम पुत्र स्व धनाजी आयु बालिग
  2/4– गोविन्दराम पुत्र स्व धनाजी आयु बालिग
  2/5– बच्चुलाल पुत्र स्व धनाजी आयु बालिग
    जतिगण ब्राहम्ण निवासीगण– भाटुन्द तहसील बाली जिला पाली
3 स्व. गलबी पुत्री स्व मानाजी पत्नि पाबुजी जाति ब्राहम्ण, निवासी –भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राज0) के कायम मुकाम वारिशानः–
  3/1–कन्हैयालाल पुत्र स्व पाबुरामजी, आयु–बालिग
  3/2– गोपीकिशन पुत्र स्व पाबुरामजी, आयु–बालिग
  3/3– पुखराज, पुत्र गलबी पत्नि पाबुरामजी के कायम मुकाम
    3/3/1–सीता पत्नि स्व पुखराजजी आयु–बालिग
    3/3/2–प्रदीप पुत्र स्व पुखराजजी आयु–बालिग
    3/3/3–सुमीत पुत्र स्व पुखराजजी आयु–बालिग
    3/3/4–विनित पुत्र स्व पुखराजजी आयु–बालिग
  3/4– रेवाशंकर पुत्र स्व पाबुरामजी, आयु– बालिग
  3/5– सविता पुत्री स्व पाबुरामजी, आयु– बालिग
4– स्व गजीबाई पुत्री मानाजी के कायम मुकाम
  4/1– चंचरीदेवी पत्नि स्व बाबुलालजी पुत्र वरदाजी के कायम मुकाम दीपक कुमार गोदपुत्र स्व चंचरीदेवी व स्व बाबुलालजी
  4/2–गोपीकिशन पुत्र वरदाजी, आयु बालिग
  4/3–रेवाशंकर पुत्र वरदाजी, आयु बालिग
  4/4. हरिशंकर पुत्र वरदाजी, आयु बालिग जातिगण ब्राहम्ण, निवासीगण भन्दर, तहसील बाली
5–स्व कपुरजी पुत्र मानाजी के कायम मुकाम
  5/1 टिपुबाई पत्नि हरिशंकरजी, आयु बालिग, जाति ब्राहम्ण, निवासीगण भन्दर, तहसील बाली
  5/2 जरावी पत्नि दलपतराजी, जाति ब्राहम्ण, निवासा भन्दर, तहसील बाली
  5/3 चन्द्राबाई पत्नि भंवरलालजी, आयु बालिग, जाति ब्राहम्ण, निवासी भन्दर, तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

पेज लगातार.....02

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला- पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00010
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

6. जवानमल पुत्र शिवलालजी
7. कन्हैयालाल पुत्र शिवलालजी
   7/1 विनोद पुत्र कन्हैयालालजी
   7/2 कैलाश पुत्र कन्हैयालालजी
   7/3 अनीता पुत्री कन्हैयालालजी
   7/4 सरोज पुत्री कन्हैयालालजी
8. पाबुराम पुत्र रामाजी के कायम मुकामः–
   8/1 मगनलाल पुत्र पाबुरामजी
   8/2 चुन्नीलाल पुत्र स्व0 पाबुरामजी के कायम मुकामः–
      8/2/1 हितेश पुत्र स्व0 चुन्नीलालजी
      8/2/2 सरोज पुत्री स्व0 चुन्नीलालजी
      8/2/3 कल्पना पुत्री स्व0 चुन्नीलालजी
   8/3 लीला पुत्री पाबुरामजी
   8/4 दुर्गा पुत्री पाबुरामजी
   8/5 गीता पुत्री पाबुरामजी
   8/6 मेती पुत्री पाबुरामजी
9. किस्तुराराम पुत्र रामाजी के कायम मुकामः–
   9/1 नाथी पुत्री किस्तुरारामजी
   9/2 दुर्गेश पुत्र किस्तुरारामजी
   9/3 ताराचन्द पुत्र किस्तुरारामजी
   9/4 महेन्द्र पुत्र किस्तुरारामजी
   9/5 प्रवीण पुत्र किस्तुरारामजी
   9/6 श्रवण पुत्र किस्तुरारामजी
   9/7 पुष्कर पुत्र किस्तुरारामजी जाति ब्राहमण निवासी भाटून्द तहसील बाली
10. लच्छाराम पुत्र लालजी के कायम मुकामः–
   10/1 देवाराम पुत्र लच्छारामजी
   10/2 मुलशंकर पुत्र लच्छारामजी
   10/3 पेमाराम पुत्र लच्छारामजी जाति ब्राहमण निवासी भाटून्द तहसील बाली
11. बाबुलाल पुत्र छोगाजी
12. छगनलाल पुत्र छोगाजी
13. नेनाराम पुत्र छोगाजी
14. रमेशकुमार पुत्र छोगाजी
15. बच्छूलाल पुत्र छोगाजी
16. मांगीलाल पुत्र खसाजी
17. कान्तिलाल पुत्र खसाजी
18. लादीबाई पत्नि स्व. खसाजी
19. विजाराम पुत्र पनाजी के कायम मुकामः–
   19/1 देवाराम पुत्र विजारामजी के कायम मुकामः–
      19/1/1 चेतन पुत्र देवारामजी
      19/1/2 संतोष पुत्र देवारामजी
      19/1/3 सरोज पुत्री देवारामजी
      19/1/4 सीता पुत्री विजारामजी
      19/1/5 राधादेवी पुत्री विजारामजी
      19/1/6 मीरादेवी पुत्री विजारामजी
20. देशाराम पुत्र पनाजी
21. मोहनलाल पुत्र पनाजी
22. सोमाराम पुत्र पनाजी के कायम मुकामः–
   22/1 प्रकाश पुत्र सोमारामजी
   22/2 किशोर पुत्र सोमारामजी
   22/3 गीता पत्नि सोमाराजी

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....03

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00010
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

23. दिनेश पुत्र गलबाजी
24. कैलाशकुमार पुत्र गलबाजी
25 पवनी पत्नि गलबाजी जातिगण ब्राहमण निवासीगण भाटुन्द तहसील बाली
26. तहसीलदार, बाली .

उपस्थितिः–

1. श्री हिम्मत धनेरा .....अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री मुकेश धनेरा..... अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2ए से 2 डी
3. श्री भरत जे. राठौड ..... अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2/5 की ओर से
4. नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक 01/12/025

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादीगण ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर ग्राम भाटुन्द स्थित भुमि हाल खसरा न. 747, 749, 750, 751, 752, 748, 981, 1017 कुल खसरा–08 कुल रकबा 1.85 हैक्टर के 1/16 हिस्सा में दर्ज सह खातेदार शंकर, धन्ना पि. माना का नाम विलोपित कर वादीगण को भाटुन्द के हाल खसरा नंबर 749 में खसरा नंबर 748 तेड के उत्तर की तरफ स्थित भू0खण्ड 150 X 37 फीट का खातेदार घोषित करते हुयें प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादीगण ने अपने वादपत्र में इसका आधार यह बताया गया कि ग्राम भाटुन्द के गत् खसरा नंबर 1257, 1258, 1253, 1255, 1256, 892, 927, 1257, 1255, 1267, कुल खसरा–10 कुल रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा में अन्य सह खातेदारान् के साथ छोगा व लसा, खसा पि. लाला, माना, पन्ना पि. वदा कौम ब्राहमण सा. देह 1/4 हिस्सा दर्ज रहा है, जो प्रथम बंदोवस्त के समय की मिसल बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028 में दर्ज था। जिसके अनुसार माना, पन्ना पि. वदा कौम ब्राहमण सा. देह 1/8 हिस्सा हुआ, एवं वादीगण के पुर्वज/दादा माना पुत्र वदा का 1/16 हिस्सा हुआ। तथा स्व0 माना पुत्र वदाजी के बतौर वारिश 03 पुत्र कपुरजी, धन्नाजी व शंकरजी हुये, परन्तु स्व0 माना का देहान्त होने के बाद फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 63 के द्वारा माना के वारिश के तौर पर वादग्रस्त भूमि माना पुत्र वदा के स्थान पर शंकर व धन्ना पि0 माना का नाम ही दर्ज किया गया। जिसकी पुष्टि जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 में दर्ज इन्द्राज से होती है। उक्त जमाबंदी में भाटुन्द के गत् खसरा नंबर 465, 464, 892, 927 कुल खसरा 04 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा में बींजा, देशा, गलबा, मोहन, सोमा पि. पना 1/16 शंकर धना पि. माना 1/16 हिस्सा दर्ज किया गया। जिस इन्द्राज को आगे बनी जमाबंदियो में दोहराया जाता रहा एवं सैटलमेंट पश्चात् गत् खसरा नंबर से बने हाल खसरा न. 747, 749, 750, 751, 752, 748, 981, 1017 कुल खसरा–08 कुल रकबा 1.85 हैक्टर के 1/16 हिस्सा हैक्टर में जमाबंदी संव् 2056 से 2059 में दर्ज करते हुये निम्नानुसार इन्द्राज किया गया– " बीजा देशा मोहन सोमा पि. पना दिनेश कुमार कैलाशकुमार पि. गलबा मु. पवनी बेवा गलबा 1/16 शंकर, धन्ना पि. माना 1/16 दर्ज हुआ। (इस प्रकार माना के वारिश 03 पुत्र यथा धन्नाराम, कपुराराम व शंकर होते हुये मात्र दो पुत्रो शंकर व धन्ना का नाम ही दर्ज किया गया एवं वादीगण के पुर्वजा पिता कपुराराम का नाम दर्ज नहीं किया गया।) वादग्रस्त भूमि के खातेदार ज्यादा होने से माना के वारिशान का 1/16 हिस्सा अनुसार मात्र 150 X 37 वर्गफीट का भू0खण्ड ही हिस्से में आया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य हुये पारिवारिक बंटवाडा के अनुसार 50 वर्षो से इस भू0खण्ड पर वादीगण ह काबिज है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार.....04

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00010
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

परन्तु राजस्व रिकार्ड में माना के वारिश शंकर व धन्ना का ही 1/16 वां हिस्सा में नाम दर्ज होने से वादीगण को 1/16 वां हिस्सा का खातेदार घोषित करते हुये पारिवारिक विभाजन में खसरा नंबर 749 वादीगण के क़ब्जे में आने से खसरा नंबर 748 तेड के उत्तर की तरफ स्थित 150 x 37 वर्गफीट भू0खण्ड विभाजन में रखते हुये प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखिय साक्ष्य मिलान क्षेत्रफल के प्रति EX-1A ,जमांबदी संवत 2056–2059 प्रदर्श EX-3A, खतौनी वर्ष 2009 से 2028 की प्रति प्रदर्श EX-5A,जमाबंदी संवत 2019–2022, 2023 से 2026, 2027 से 2030 एवं संवत् 2031 स 2034 की प्रतियॉ प्रदर्श EX-4A तथा अपर जिला न्यायाधीश, बाली के निर्णय दिनांक 25.6.2024 की प्रति, प्रदर्श– ई. एक्स–08, ग्राम पंचायत भाटन्द में पट्टे बाबत्जुर्माना भरने की रसीदे पदर्श– ई. एक्स– 11 ए व ई.एक्स–12ए, ग्राम पंचायत भाटुन्द द्वारा कपुरलाल वल्द मोनाजी के नाम जारी पट्टा प्रदश– ई.एक्स 9ए, ग्राम पंचायत भाटुन्द द्वारा जारी नोटिस प्रदर्श– ई.एक्स–10ए, वर्तमान नक्शा की फोटो प्रति प्रदश– ई.एक्स 2ए की प्रतियॉ पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह pw1 श्री नेनमल पुत्र स्व. कपूर जी आयु 71 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी भाटुन्द एवं गवाह pw2 श्री हरिशंकर पुत्र लच्छीराम जी आयु 80 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी भाटुन्द के बयान कलमबद्व करवाये गये।

वादीगण के वादपत्र का जवाब प्रतिवादी बच्चुलाल गोद पुत्र शंकरलाल की ओर से प्रस्तुत कर वाद में वर्णित तथ्यों से असहमति प्रकट करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भुमि कभी भी स्व. श्री माना पुत्र वदा जी कपूर जी पुत्र माना जी के काश्त कब्जे की नही रही है। ग्राम भाटुन्द जागीरी का गांव था– वक्त जागीरी वादग्रस्त भूमि तात्कालिन जागीरदारा– सह खातेदारान् के खुद कास्त की भूमि थी– स्व0 माना पुत्र वदाजी का वादग्रस्त आराजी में 1/12 हिस्सा सह खातेदारी का था। उक्त 1/12 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 का व उनके वारिसान का लगातार शंतिपूर्वक जाहिरा तौर से कब्जा व कास्त चला आ रहा है। स्व0 कपुरजी पुत्र मानाजी एवं इनके वारिसान वादीगण का कभी भी कब्जा कास्त नहीं रहा है। वादीगण के पिता श्री कपुरजी स्व0 मानाजी पुत्र वदाजी के जीवनकाल में संवत् 2003 में अलग हो गये थे, जिसके अनुसार अन्य चल संपति एवं आणा, साटा ब्याव का खर्च इत्यादि का हिसाब करते हुए बंटवाडा में ग्राम भाटुन्द के आबादी क्षैत्र में स्थित दो मकान अडोअड लगते हुए टेगो की बास में , जिसका एक आबादी पट्टा संवत् 1986 नाप चौडाई में 12 हाथ, लंबाई में 35 हाथ (जागा रेवास री वडेर) एवं दूसरा आबादी पट्टा संवत् 1998 नाम चौडाई में 24 हाथ, लंबाई में 35 हाथ (पगतीयो री मोडीयोरी जागा) का है। जिसके आबादी पट्टा ग्राम भाटुन्द जागीरदार पंचो द्वारा जारी किये गये है, जो बही में उल्लेखित है, वादीगण के पिता के बंट में रखे गये थे। एवं स्व0 मानाजी कृषि भूमियो मेंसे बेचान प्रतिफल की राशि प्राप्त करते हुये सावण सुद 11 संवत् 2003 में गांव छोड कर चले गये थे। इसकी फारगती भी लिखी गई थी, जिसका हिन्दु अनुवाद पेश किया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर स्व0 कपुरजी का कब्जा नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज हुआ। तथा फौतेदगी नामान्तरकरण को इतनी लम्बी अवधि बाद चुनौती दी है, जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि भाटुन्द के हाल खसरा नंबर 749 में 150 x 37 वर्गफीट पर बिना कब्जे व अधिकार के वाद पेश किया हैं। उक्त भू0खण्ड का कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पास है, जिससे वादीगण का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार.....05

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00010
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इसके साथ ही प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह भी वर्णित किया कि प्रतिवादी सं0 2 ई बच्छुलाल स्व0 शंकरलाल पुत्र मानाजी का गोद पुत्र है, जिसका गोदनामा दस्तावेज दिनांक 12.6.1990 को पंजीबद्ध किया हुआ है। वादीगण के पुर्वज दादा श्री कपूर जी पुत्र माना जी संयुक्त हिन्दु परिवार से संवत 2003 में सावण सुदी ग्यारस को पृथक हो चुके थे इस प्रकार स्व. कपूर पुत्र माना जी ने अपने आपको संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी से संवत 2003 में पृथक कर लिया था। इसके पश्चात उक्त भूमि में बाय आपरेशन आफ लॉ सहदायिकी खातेदारी में प्रतिवादी गण के पिता का नाम अंकित किये जाने से कपूर जी पूत्र मानाजी एवं उनके वारिसान वादीगण को हिन्दु उत्तराधिकरा अधिनियम, 1956 के प्रावधानो के तहत कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। जिससे वादीगण का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने जबाव दावा के समर्थन में प्रतिवादी द्वारा बतौर अभिलेखिय साक्ष्य

1. नजरी नक्श ग्राम भटुन्द के आबादी मकानो का,
1ए–फोटो प्रति पट्टा गांव भाटुन्द के जागीरदारान् द्वारा जारी आबादी पट्टा संवत् 1986 कार्तिक वद 14 तस्दीक उप सरपंच ग्राम पंचायत भाटुन्द दिनांक 15.2.59
2 संवत् 1998 चेतर वद 2 तस्दीक दिनांक 15.2.59,
3. फोटो प्रति फारगती सावण सुद 11 संवत् 2003
4. प्रमाणित प्रतिलिपी खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028
5.प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी संवत् 2056 से 2059 खाता संख्या 141
6. ग्राम भाटुन्द तहसील बाली में स्थित कुआ बडा नीपट कानातरावाला की खतौनी
7 बेरा ढीबरा की खतौनी जो ग्राम भाटुन्द में स्थित हैं।
8. फोटो प्रति लिखत गोदनामा– एडप्शन डीड दिनांक 12.6.90 पंजीबद्ध प्रतिया पेश की गई ।

इन अभिलेखिय साक्षयों के साथ बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह Dw1 श्री बच्चुलाल पुत्र धन्नाराम उम 62 वर्ष ब्राहम्ण निवासी भाटुण्ड ,गवाह Dw2 गोपी किशन पुत्र वरदीरामजी उम्र 80 जाति ब्राहम्न निवासी भन्दर के बयान कलमबद्ध करायें एवं साथ ही गवाह की टीकाराम पुत्र टीलाराम आु 60 जाति मीणा निवासी भाटुन्द, नाताराम पुत्र करताराम आयु 83 वर्ष जाति देवासी निवासी भाटुन्द, बाबुलाल पुत्र देवाराम आयु 59 वर्ष जाति गरासिया निवासी भाटुन्द के शपथपत्र पेश किये गये।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण में वादी व प्रतिवादी के मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादी श्री हिम्मत धनेरा ने बहस में वादपत्र में वर्णीत तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 स्व माना जी के वारिस है तथा माना जी के तीन पुत्र धन्नाराम,कपूराराम, शंकरलाल थे परन्तु वादग्रस्त भूमि के खातेदारा माना पुत्र वदा के देहान्त के बाद दाखिल एवं स्वीकृत नामातरण से मात्र धन्ना व शकर के नाम ही दर्ज हुए एवं कपूराराम का नाम दर्ज नही हुआ जबकि कपूराराम भी स्व माना का जायन्दा पुत्र होने से वादग्रस्त भूमि में 1/16 हिस्से की खातेदारी पाने का अधिकारी था। उक्त नामांतकरण ab-into-void होने से वादीगण के हितो के विरूद्व बेअसर होने से वादीगण स्व. कपूराराम के वारिस होने से वादग्रस्त भूमि में से 1/16 वां हिस्सा में खातेदारी पाने के अधिकारी थे तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पुर्वजो के मध्य विभाजन के अनुसार वादग्रस्त भूमि जो वर्तमान में भूखण्ड के रूप में ही विद्यमान है, खसरा नंबर 749 वादीगण के कब्जे में आने से खसरा नंबर 748 तेड के उत्तर की तरफ स्थित 150 X 37 वर्गफीट भू0खण्ड विभाजन में रखते हुये प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने की दलील दी।

पेज लगातार.....06

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00010

अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा

अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी के उक्त वाद में वर्णित तथ्यों को बच्चुलाल के अलावा अन्य सभी सह खातेदारान ने स्वीकार किया है अत वादी का वाद डिक्री किये जाने की दलील दी। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्ववान वकील वादी द्वारा दौराने बहस निम्न कानुनी दृष्टान्त पेश किये :–

1 RRT 2019(1) पेज 347(RB)
2 RRT 2011(2) पेज 1407(HC)
3 RRD 2000 पेज 45 (RB)
4 RRT 2024(1) पेज 625(RB)
5 RRT 2012(1) पेज 223(RB)
6 RRT 2024(2) पेज 1107(RB)

इसके विपरित प्रतिवादी सं 2E बच्चुलाल के अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड ने बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए दलील दी कि स्व. माना पुत्र वदा के नाम की कोई खातेदारी भुमि नही रही है यह भुमि ब्राहमणो के जागीरी की भुमि रही है जिसमे प्रतिवादी सं. 1 व 2 शिकमी काश्तकार रहे हैं। जिससे टिन्नेसी एक्ट के प्रावधान लागु होने के समय से प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादग्रस्त भूमि में खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त हैं। वादीगण के पूर्वज संवत् 2003 में गाव छोडकर चले गए थे तथा अपने हक अधिकार छोडते हुए एक फारगती भी लिख कर दी थी अब वादीगण ने गलत वाद पेश किया हैं, जो खारीज योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया एवं उभयपक्ष वकुलायय की बहस एवं बहस के दौरान् प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्तो में प्रतिपादित सिद्वान्तो पर मनन किया गया उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता हैं:–

1. आया वादीगण का मौजा भाटुन्द के पुराने खसरा नंबर 465, 446, 892, 827 कुल खसरा–4 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा के भू0 भाग से बने हाल खसरा नंबर 747, 749, 750, 751; 752 कुल रकबा 1.66 हैक्टर व खसरा नंबर 748, 981, 1017 कुल खसरा–3 कुल रकबा 1.85 हैक्टर के 1/16 वा हिस्सा, की भूमि हाल खसरा नंबर 748 गैर मुमकीन तेड के उत्तर की तरफ खसरा नंबर 749 में (150X37)=5550 वर्गफीट की भूमि पर पिछले 50 वर्श से कब्जा होने से वादीगण खसरा नंबर 749 मेंसे (150X37) = 5550 वर्गफीट की प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की की डिक्री पाने के अधिकारी हैं ? .....

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

वादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण द्वारा वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रस्तुत प्रथम सैटलमेंट के समय की मिसल बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 प्रदर्श– EX-5A में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भाटुन्द के गत् खसरा नंबर **465, 446, 892, 827 कुल खसरा–4 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा** माना वल्द वदा कौम ब्राहमण 1/16 वा हिस्सा में सह खातेदार दर्ज होना प्रमाणित हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2018 से 2022 प्रदर्श– EX-4A में दर्ज इन्द्राज के अनुसार भाटुन्द के गत् खसरा नंबर **465, 446, 892, 827 कुल खसरा–4 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा** के सह खातेदार माना पुत्र वदा का नाम विलोपित कर दिया तथा पना के वारिशान का ही हिस्सानुसार नाम दर्ज किया गया। जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 एवं संवत् 2027 से 2030 में भी पुनः इसी अनुसार इन्द्राज दोहराया गया। इसके पश्चात् संवत् 2031 से 2034 की जमाबंदी में 1/16 हिस्सा में पना के वारिशान का एवं 1/16 हिस्सा में माना के वारिश के तौर पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 यथा शंकर व धन्ना पुत्र माना का ही नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार वादीगण के पिता कपुराराम का नाम पुश्तैनी भूमि से विलोपित कर दिया। जबकि वादीगण के पिता कपुराराम भी माना के पुत्र ही थे।

पेज लगातार.....07

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/0001D
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 206 प्रदर्श– EX-10 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार भाटुन्द के गत् खसरा नंबर 414, 464 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा में वादीगण के दादा माना पिता वदा 1/16 हिस्सा दर्ज था, जिसमें फौतेदगी नामा. स्वीकृत होने के बाद शंकर धन्ना पि. माना 1/16 हिस्सा में सह खातेदार दर्ज किये गये। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से यह प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पुर्वज स्वं. माना पिता वदा के खातेदारी की होते हुये वादीगण के पिता कपुरारामजी का नाम फौतेदगी नामान्तरकरण में छोड दिया गया। तथा इसके बाद बनी जमाबंदियो में भी उक्त त्रुटि को दोहराया जाता रहा। इतना ही नहीं मिलान क्षैत्रफल के अनुसार भाटुन्द के गत् ख न **465, 446, 892, 827 कुल खसरा–4 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा** से बने हाल खसरा नंबर हाल खसरा नंबर 747, 749, 750, 751, 752, 748, 981, 1017 कुल खसरा–08 कुल रकबा 1.85 हैक्टर के 1/16 हिस्सा में भी जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 में भी उक्त त्रृटि बरकरार रखते हुये शंकर धना पि0 माना 1/16 हिस्सा में दर्ज की गई हैं। प्रतिवादी ने अपने जवाब में राजस्व कर्मियों की त्रुटि से वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों जमाबंदी संवत 2009 से 2028 में माना पुत्र वदा के नाम की प्रविष्टि होना वर्णित जरूर किया है। एवं साथ ही शासणदार की भूमि होना एवं इस पर बतौर शिकमी काश्तकार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ही काबिज होना वर्णित किया है परंतु इन सब की पुष्टि में कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किये है। इसके साथ ही प्रतिवादी ने अपने जवाब में वादीगण के पिता द्वारा संवत 2003 में गांव छोडकर चले जाना तथा हक छोडने का उल्लेख किया है। परंतु प्रतिवादी पक्ष के मौखिक साक्ष्य गवाह डीडब्ल्यू 2 श्री गोपीकिशन पुत्र वरदीरामजी कौम ब्राह्मण जो कि वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण के पिता गवाह गोपीकिशन के सगे मामा थे तथा इन तीनों भाईयों के बीच हुये बंटवाडा में वो शामिल नहीं रहे है जिससे प्रतिवादी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता इसके विपरीत वादी पक्ष के गवाह पीडब्ल्यू 1 नेनमल एवं पीडब्ल्यू 2 हरीशंकर पुत्र लच्छीराम आयु 80 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी भाटून्द के बयानों से वादीगण के वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि होती है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि होना प्रमाणित है। खातेदारी घोषणा के लिये आवश्यक शर्त भूमि पुश्तैनी होना, सैटलमेंट की भूल, खरीदशुदा भूमि हो। उक्त प्रकरण में भूमि पुश्तैनी होना साबित होने से वादीगण के अनुतोष अनुसार भाटुन्द के गत् ख न **465, 446, 892, 827 कुल खसरा–4 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा** से बने हाल खसरा नंबर हाल खसरा नंबर 747, 749, 750, 751, 752, 748, 981, 1017 कुल खसरा–08 कुल रकबा 1.85 हैक्टर के 1/16 हिस्सा में दर्ज शंकर, धन्ना पि0 माना के साथ बहिस्सा बराबर की घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी बनते है। चूँकि वादीगण ने उक्त भूखण्ड पारिवारिक बंटवाडा में वादीगण के हिस्से बंट में रखने से पिछले 50 वर्ष से वादग्रस्त भूखण्ड खसरा नंबर 749 वादीगण के कब्जे में आने से खसरा नंबर 748 तेड के उत्तर की तरफ स्थित 150 X 37 वर्गफीट भू0खण्ड विभाजन में रखते हुये प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है। इस बाबत् वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में पारिवारिक बंटवाडा बाबत् कोई दस्तावेज नहीं है। परन्तु वादी एवं प्रतिवादी दोनो ही पक्षो द्वारा वादग्रस्त भू0खण्ड के कब्जे बाबत् विवाद होने से सिविल न्यायालय में प्रकरण चलने के साक्ष्य के तौर पर सिविल न्यायालय के निर्णयो की प्रतियाँ पेश की गई है। प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि भूमि यद्यपि स्वमाना पुत्र वदा की पुश्तैनी भूमि है, परन्तु अधिकार अभिलेखो में स्व. माना पुत्र वदा के फौतेदगी नामान्तरकरण दाखिल के बाद शंकर व धन्ना का ही नाम दर्ज किया जाता रहा है, जो कि पत्रावली पर मौजुद वर्तमान अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज से भी बखूबी साबित है। विधिक प्रावधानो के अनुसार रेकर्ड में दर्ज खातेदार का धारित खातेदारी भूमि पर कब्जा माना जाता है, इस प्रकार उक्त प्रकरण में भी रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 01व 02 का नाम दर्ज होने से

पेज लगातार.....08

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/0001D
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उनको कब्जे का दावा करने की कतई आवश्यकता नहीं रहती, हॉ इतना अवश्य हैं कि यदि धारित भूमि पर वादी या किसी तीसरे पक्ष का कब्जा है, तो उनके विरूद्व बेदखली का वाद प्रतिवादी संख्या–01 व 02 कर सकते थे। परन्तु हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रतिवादी द्वारा वादीगण के विरूद्व सिविल न्यायाधीश, बाली के न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया, तथा इसका निर्णय वादीगण के विरूद्व होने से वादीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायालय से उस निर्णय को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषण किया। जिससे वादीगण की इस दलील को बल मिलता हैं कि वादग्रस्त भूखण्ड उनके हिस्से बंट में आने से उनके कब्जे में हैं। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य भी इन तथ्यो की पुष्टि करते है। प्रतिवादी पक्ष के मौखिक साक्ष्य भी बयानो में वादीगण का कब्जा नहीं होना साबित नहीं कर पाये है। इसके साथ ही प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 ई बच्चुलाल का नाम शंकरलाल के गोद पुत्र की हैसियत से एवं धन्नाराम के वारिश की हैसियत से रिकार्ड ऑफ राईट्स में दो बार दर्ज है, जो अपने आप में भ्रामक है, तथा विधि के सर्व मान्य सिद्वान्त की एक व्यक्ति दोनो जगह गोदपुत्र एवं अपने प्राकृतिक पिता दोनो जगह पर हक नहीं ले सकता, जबकि हस्तगत् प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–2 ई बच्चुलाल ऐसा ही कर रहा है। जिससे वादीगण ग्राम भाटुन्द के हाल 747, 749, 750, 751, 752, 748, 981, 1017 कुल खसरा–08 कुल रकबा 1.85 हैक्टर के 1/16 हिस्सा **की भूमि हाल खसरा नंबर 748 गैर मुमकीन तेड के उत्तर की तरफ खसरा नंबर 749 में (150X37)=5550 वर्गफीट की भूमि पर पिछले 50 वर्ष से कब्जा होने से वादीगण खसरा नंबर 749 मेंसे (150X37)=5550 वर्गफीट की प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के अधिकारी बनते है, जिससे तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व निर्णित की जाती है।**

2. आया वादग्रस्त भूमि मौजा भटुन्द के पुराने खसरा नंबर 465, 446, 892, 827 में वादीगण के दादा का 1/16 हिस्सा दर्ज था, वादीगण के दादा माना पुत्र वदा का देहांत होने पर माना के हिस्से में माना के दो पुत्रो शंकर तथा धना का ही नाम दर्ज किया गया तथा वादीगण के पिता व ससुर कपुरजी का नाम दर्ज नही किया। भूमि का रकबा कम होने व भागीदार ज्यादा होने से भूमि का आपस में बंटवारा कर उक्त भूमि अकेले वादीगण के पुर्वज व पिता कपुरजी के बंट में रखी गई। परन्तु अधिकार अभिलेखों में वादीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं होने व भूमि की किमते बढने से प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ जाने से प्रतिवादीगण दखलन्दाजी करने पर आमादा हैं। जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि की प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा खतेदारी प्राप्त करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादीगण का था। तनकी संख्या 01 में किये विवेचन के अनुसार प्रथम सैटलमेंट की मिसल बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028 में ग्राम भाटुन्द के गत् ख न **465, 446, 892, 827 कुल खसरा–4 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा** में पना, माना पि0 वदा 1/8 हिस्सा में सह खातेदार दर्ज थे। परन्तु वादीगण के पुर्वज माना पि0 वदा के देहांत बाद दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण से वादग्रस्त भूमि के 1/16 हिस्सा में शंकर, धन्ना पि. माना का ही नाम दर्ज किया गया एवं वादीगण के पिता कपुरजी का नाम दर्ज नही किया गया। तथा सैटलमेंट बाद गत् ख न **465, 446, 892, 827 कुल खसरा–4 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा** से बने हाल खसरा नंबर 747, 749, 750, 751, 752, 748, 981, 1017 कुल खसरा–08 कुल रकबा 1.85 हैक्टर के 1/16 हिस्सा में में भी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम ही दर्ज किया गया। जो नामान्तरकरण विधि विरूद्व होने से वादीगण के अनुतोष को प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो एवं मौखिक साक्ष्यो

पेज लगातार.....09

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : GCMS NO 2001/00010
अनवान नेनमल वगैरा बनाम शंकरलाल के कामु. तारा वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

द्वारा दिये गये बयानो के आधार पर स्वीकार करते हुये तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। जिससे तनकी संख्या 01 में किये विवेचन के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि की प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा खातेदारी प्राप्त कने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के अधिकारी है। परिणामतः तनकी संख्या 02 भी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

3. आया वादग्रस्त भूमि व स्व0 मानाजी पुत्र वदाजी के अन्य चल/अचल सम्पति मकान व भूमियो का बंटवारा मानाजी के पुत्रो के बीच हुये बंटवारा के अनुसारः वादीगण ने सभी हितबद्व पक्षों को पक्षकार नहीं बनाया जाने से पक्षकारों के कुसंयोजन 1से वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाने योग्य है.? ..... बेरा निपट, कोनातरा वाला व बेरा ढीबरा में मानाजी का निहित 1/2 हिस्सा में तीनो भाईयो का बराबर हिस्सा रखा गया।
(2) रहवासीय मकनो में आधा हिस्सा कपुरजी अकेले के एवं आधा हिस्सा शंकरजी व धनजी दोनो भाईयों के रखा गया।
(3) वादग्रस्त भूमि ढीबरा पडतल में मानाजी के निहित 1/12 हिस्सा के हक हकूक प्रतिवादी संख्या 01 व 2 के हक में रखी गई। इस बाबत् फारगती भी लिखा गया, जिससे वादीगण के पिता के जीवनकाल में ही हक समान्त हो जाने से वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं रहा हैं। जिससे वादीगण का वाद खारिज योग्य हैं? ..... प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी पक्ष का था। प्रतिवादी संख्या 2 ई द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में यह जरूर वर्णित किया है, कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता व पुर्वज कपुरजी पुत्र मानाजी एवं माना पुत्र वदाजी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध मिसल बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार भाटून्द के गत् खसरा न **465, 446, 892, 827 कुल खसरा–4 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा** में पना, माना पि0 वदा 1/8 हिस्सा में सह खातेदार दर्ज थे। जिससे प्रतिवादी पक्ष की यह दलील मानने योग्य नहीं हैं कि माना पुत्र वदाजी का इस भूमि पर काश्त व कब्जा नही रहा है। जहां तक कपुरजी पुत्र मानाजी की कब्जे काश्त का प्रश्न है, चूँकि कपुरजी स्व0 मानाजी का पुत्र है, जिससे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो अनुसार जन्म से पुश्तैनी हिस्सा अनुसार कब्जा हो गया। प्रतिवादी पक्ष अपने जवाबदावा एवं उनके विद्वान् अधिवक्ता वादीगण के पिता व पुर्वज कपुरजी पुत्र मानाजी को संयुक्त हिन्दु परिवार से संवत् 2003 की सावन सुदी 11 से पृथक होने की दलील देने से नहीं थकते है, परन्तु इस बाबत् प्रस्तुत लिखत फारगती के एक भी गवाह को न्यायालय में पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया। इसके विपरित प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्लू–02 गोपीकिशन जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 2 के भुआ का लडका है, ने भी अपने बयानो में जिरह के दौरान् स्वीकार किया हैं कि वह विभाजन में शामिल नहीं रहा है। इसके साथ ही वादीपक्ष के प्रस्तुत साक्ष्यो एवं प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो से कहीं पर यह प्रमाणित नही होता हैं कि वादीगण के पुर्वज संवत् 2003 में गांव छोडकर चले गये हो। जिससे तनकी संख्या–03 भी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी पक्ष के विरूद्व निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

4. आया वादग्रस्त भूमि में स्व0 मानाजी के निहित 1/12 हिस्सा पर एक मात्र कब्जा प्रतिवदीगण का है, तथा अधिकार अभिलेखों में भी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, जिससे वादीगण का वाद खारिज योग्य हैं? ..... प्रतिवादीगण

पेज लगातार.....10

Scanned with OKEN Scanner

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी प्रतिवादीगण थां। तनकी संख्या 01 में किये विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि भाटून्द के गत् खसरा न 465, 446, 892, 827 कुल खसरा–4 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा में पना, माना पि0 वदा 1/8 हिस्सा में सह खातेदार दर्ज थे। तथा माना पि0 वदा के फौतेदगी नामान्तरकरण के जरिये माना के दो पुत्रो शंकर व धन्ना का नाम ही 1/16 हिस्सा में दर्ज किया गया। तथा इस त्रुटि को आगे बनी जमाबंदियो एवं भू0प्रबन्ध बाद के अधिकार अभिलेखों में दोहराया जाता रहा। जबकि इस भूमि पर वादीगण का कब्जा होने तथा खातेदार संख्या में अधिक होने से मौके पर भू0खण्ड के तौर पर हिस्सा आने तथा उक्त भू0खण्ड वादीगण के हिस्से बंट में आने से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो एवं मौखिक साक्ष्यो के आधार पर तनकी संख्या–01 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। जिससे तनकी संख्या 01 में किये विवेचन के अनुसार उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

5. अनुतोष ? .....

तनकी संख्या 01 से 04 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित हो जाने से वादीगण अन्य कोई अनुतोश पाने के अधिकारी नहीं रहते है।

–::निर्णय::–

प्रकरण में कायम तनकी संख्या 01 से 04 निर्णित किये जाने के पश्चात् हैं कि प्रथम बंदोवस्त के समय की मिसल बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भाटून्द के गत् खसरा न 465, 446, 892, 827 कुल खसरा–4 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा में पना, माना पि0 वदा 1/8 हिस्सा में सह खातेदार दर्ज थे। परन्तु प्रतिवादीगण ने विधि विरूद्व तरीके से वादीगण को पुश्तैनी भूमि से वंचित करने के ईरादे से फौतेदगी नामान्तरकरण के द्वारा वादीगण के पुर्वज/पिता कपुरजी पुत्र मानाजी का नाम दर्ज नहीं कराया, तथा जमाबंदी संवत् 2018 से 2022 से विलोपित करवा दिया। जो त्रुटि उत्तरोतर बनी जमाबंदियो में दोहराई गई, तथा सैटलमेंट पश्चात् बने हाल खसरा नंबर 747, 749, 750, 751, 752, 748, 981, 1017 कुल खसरा–08 कुल रकबा 1.85 हैक्टर के 1/16 हिस्सा में में भी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम ही दर्ज किया गया। इन सभी तथ्यो को छिपाते हुए प्रतिवादी संख्या 2 ई बच्चुलाल द्वारा जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा में मुख्य आधार खसरा गिरदावरीयो को बनाया, विधिक प्रावधानो के अनुसार खसरा गिरदावरी को रिकॉर्ड ऑफ राईट्स की संज्ञा नहीं दी जा सकती हैं। इसके साथ ही हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रतिवादी संख्य 2 ई बच्चुलाल शंकरलालजी गोद गया है। जिससे विधि अनुसार बच्चुलाल शंकरलालजी के गोदपुत्र की हैसियत से ही खातेदारी हक प्राप्त कर सकता है, जबकि वादग्रस्त भूमि व अन्य भूमियो में प्रतिवादी बच्चुलाल का गोदपुत्र एवं प्राकृतिक पिता की सम्पतियो में दो–दो बार नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2ई के उक्त वादपत्र में असहमति प्रकट करने का मुख्य बिन्दु यही है, जिसको छिपाते हुये वादीगण को उनके पुश्तैनी हकूको के अनुसार हिस्से बंट में आई वादग्रस्त भूमि, जो मौके पर भू0खण्ड के तौर पर ही है, का वादीगण को खातेदार घोशित कर प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निशेधाज्ञा की डिक्री पारित करना न्यायसंगत है। अतः वादीगण को मौजा भाटुन्द के पुराने खसरा नंबर 465, 446, 892, 827 कुल खसरा–4 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा के भू0 भाग से बने हाल खसरा नंबर 747, 749, 750, 751, 752, 748, 981, 1017 कुल खसरा–8 कुल रकबा 1.85 हैक्टर के 1/16 वा हिस्सा, की भूमि हाल खसरा नंबर 748 गैर मुमकीन तेड के उत्तर की तरफ खसरा नंबर 749 में (150X37)=5550 वर्गफीट की भूमि पर पिछले 50 वर्श से कब्जा होने से वादीगण खसरा नंबर 749 मेंसे (150X37)=5550 वर्गफीट का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955' की धारा 88,89 के तहत खातेदार घोषत किया जाता हैं। वादीगण के घोषित खातेदारी में प्रतिवादी दखलन्दाजी नही करे, इस प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कीं जाती हैं। इसी प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो। रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भाटुन्द को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिरनोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 01/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. नेनमल पुत्र स्व. कपुरजी आयु बालिग
2. देवाराम पुत्र स्व0 कपुरजी आयु बालिग
3. स्व0 दिनेशकुमार पुत्र स्व. कपुरजी के कायम मुकामः–
   3/1 मन्जु विधवा स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग
   3/2 सिंकी पुत्री स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग
   3/3 प्रियंका पुत्री स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग
   3/4 किरण पुत्री स्व. दिनेशकुमार आयु बालिग जातिगण ब्राहमण निवासीगण भादुन्द तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रतिवादीगण :– बनाम

1–शंकरलाल पुत्र मानाजी के कायम मुकाम
   1/1–तारा पुत्री शंकरलाल आयु बालिग
2 – स्व धनाराम पुत्र स्व. मानाजी के कायम मुकाम
   2/1 – लखमाराम पुत्र धनाजी के कायम मुकाम
      2/1/1– पानी पुत्री स्व. लखमाराजी आयु बालिग
      2/1/2 – कमलेश कुमार पुत्र लखमारामजी आयु बालिग
      2/1/3 – निरूपा पुत्री स्व लखमारामजी आयु बालिग
      2/1/4 – उषा पुत्री स्व लखमारामजी आयु बालिग
   2/2– देवारीाम पुत्र स्व घनाजी आयु बालिग
   2/3– गणेशराम पुत्र स्व धनाजी आयु बालिग
   2/4– गोविन्दराम पुत्र स्व धनाजी आयु बालिग
   2/5– बच्चुलाल पुत्र स्व धनाजी आयु बालिग
      जतिगण ब्राहम्ण निवासीगण– भादुन्द तहसील बाली जिला पाली
3 स्व. गलबी पुत्री स्व मानाजी पत्नि पाबुजी जाति ब्राहम्ण, निवासी –भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राज0) के कायम मुकाम वारिशानः–
   3/1–कन्हैयालाल पुत्र स्व पाबुरामजी, आयु–बालिग
   3/2– गोपीकिशन पुत्र स्व पाबुरामजी, आयु–बालिग
   3/3– पुखराज, पुत्र गलबी पत्नि पाबुरामजी के कायम मुकाम
      3/3/1–सीता पत्नि स्व पुखराजजी आयु–बालिग
      3/3/2–प्रदीप पुत्र स्व पुखराजजी आयु–बालिग
      3/3/3–सुमीत पुत्र स्व पुखराजजी आयु–बालिग
      3/3/4–विनित पुत्र स्व पुखराजजी आयु–बालिग
   3/4– रेवाशंकर पुत्र स्व पाबुरामजी, आयु– बालिग
   3/5– सविता पुत्री स्व पाबुरामजी, आयु– बालिग
4– स्व गजीबाई पुत्री मानाजी के कायम मुकाम
   4/1– चंचरीदेवी पत्नि स्व बाबुलालजी पुत्र वरदाजी के कायम मुकाम दीपक कुमार गोदपुत्र स्व चंचरीदेवी व स्व बाबुलालजी
   4/2–गोपीकिशन पुत्र वरदाजी, आयु बालिग
   4/3–रेवाशंकर पुत्र वरदाजी, आयु बालिग
   4/4. हरिशंकर पुत्र वरदाजी, आयु बालिग जातिगण ब्राहम्ण, निवासीगण भन्दर, तहसील बाली
5–स्व कपुरजी पुत्र मानाजी के कायम मुकाम
   5/1 टिपुबाई पत्नि हरिशंकरजी, आयु बालिग, जाति ब्राहम्ण, निवासीगण भन्दर, तहसील बाली
   5/2 जरावी पत्नि दलपतराजी, जाति ब्राहम्ण, निवासा भन्दर, तहसील बाली
   5/3 चन्द्राबाई पत्नि भंवरलालजी, आयु बालिग, जाति ब्राहम्ण, निवासी भन्दर, तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

Scanned with OKEN Scanner

6. जवानमल पुत्र शिवलालजी
7. कन्हैयालाल पुत्र शिवलालजी
   7/1 विनोद पुत्र कन्हैयालालजी
   7/2 कैलाश पुत्र कन्हैयालालजी
   7/3 अनीता पुत्री कन्हैयालालजी
   7/4 सरोज पुत्री कन्हैयालालजी
8. पाबुराम पुत्र रामाजी के कायम मुकामः–
   8/1 मगनलाल पुत्र पाबुरामजी
   8/2 चुन्नीलाल पुत्र स्व0 पाबुरामजी के कायम मुकामः–
      8/2/1 हितेश पुत्र स्व0 चुन्नीलालजी
      8/2/2 सरोज पुत्री स्व0 चुन्नीलालजी
      8/2/3 कल्पना पुत्री स्व0 चुन्नीलालजी
   8/3 लीला पुत्री पाबुरामजी
   8/4 दुर्गा पुत्री पाबुरामजी
   8/5 गीता पुत्री पाबुरामजी
   8/6 मेती पुत्री पाबुरामजी
9. किस्तुराराम पुत्र रामाजी के कायम मुकामः–
   9/1 नाथी पुत्री किस्तुरारामजी
   9/2 दुर्गेश पुत्र किस्तुरारामजी
   9/3 ताराचन्द पुत्र किस्तुरारामजी
   9/4 महेन्द्र पुत्र किस्तुरारामजी
   9/5 प्रवीण पुत्र किस्तुरारामजी
   9/6 श्रवण पुत्र किस्तुरारामजी
   9/7 पुष्कर पुत्र किस्तुरारामजी जाति ब्राहमण निवासी भाटून्द तहसील बाली
10. लच्छाराम पुत्र लालजी के कायम मुकामः–
   10/1 देवाराम पुत्र लच्छारामजी
   10/2 मुलशंकर पुत्र लच्छारामजी
   10/3 पेमाराम पुत्र लच्छारामजी जाति ब्राहमण निवासी भाटून्द तहसील बाली
11. बाबुलाल पुत्र छोगाजी
12. छगनलाल पुत्र छोगाजी
13. नेनाराम पुत्र छोगाजी
14. रमेशकुमार पुत्र छोगाजी
15. बच्छूलाल पुत्र छोगाजी
16. मांगीलाल पुत्र खसाजी
17. कान्तिलाल पुत्र खसाजी
18. लादीबाई पत्नि स्व. खसाजी
19. विजाराम पुत्र पनाजी के कायम मुकामः–
   19/1 देवाराम पुत्र विजारामजी के कायम मुकामः–
      19/1/1 चेतन पुत्र देवारामजी
      19/1/2 संतोष पुत्र देवारामजी
      19/1/3 सरोज पुत्री देवारामजी
      19/1/4 सीता पुत्री विजारामजी
      19/1/5 राधादेवी पुत्री विजारामजी
      19/1/6 मीरादेवी पुत्री विजारामजी
20. देशाराम पुत्र पनाजी
21. मोहनलाल पुत्र पनाजी
22. सोमाराम पुत्र पनाजी के कायम मुकामः–
   22/1 प्रकाश पुत्र सोमारामजी
   22/2 किशोर पुत्र सोमारामजी
   22/3 गीता पत्नि सोमाराजी

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....03

Scanned with OKEN Scanner

23. दिनेश पुत्र गलबाजी
24. कैलाशकुमार पुत्र गलबाजी
25 पवनी पत्नि गलबाजी जातिगण ब्राहमण निवासीगण भाटुन्द तहसील बाली
26. तहसीलदार, बाली .

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2001/00010
वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रकरण में कायम तनकी संख्या 01 से 04 निर्णित किये जाने के पश्चात् हैं कि प्रथम बंदोवस्त के समय की मिसल बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भाटून्द के गत् खसरा न 465, 446, 892, 827 कुल खसरा–4 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा में पना, माना पि0 वदा 1/8 हिस्सा में सह खातेदार दर्ज थे। परन्तु प्रतिवादीगण ने विधि विरूद्व तरीके से वादीगण को पुश्तैनी भूमि से वंचित करने के ईरादे से फौतेदगी नामान्तरकरण के द्वारा वादीगण के पुर्वज/पिता कपुरजी पुत्र मानाजी का नाम दर्ज नहीं कराया, तथा जमाबंदी संवत् 2018 से 2022 से विलोपित करवा दिया। जो त्रुटि उत्तरोतर बनी जमाबंदियो में दोहराई गई, तथा सैटलमेंट पश्चात् बने हाल खसरा नंबर 747, 749, 750, 751, 752, 748, 981, 1017 कुल खसरा–08 कुल रकबा 1.85 हैक्टर के 1/16 हिस्सा में में भी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम ही दर्ज किया गया। इन सभी तथ्यो को छिपाते हुए प्रतिवादी संख्या 2 ई बच्चुलाल द्वारा जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा में मुख्य आधार खसरा गिरदावरीयो को बनाया, विधिक प्रावधानो के अनुसार खसरा गिरदावरी को रिकॉर्ड ऑफ राईट्स की संज्ञा नहीं दी जा सकती हैं। इसके साथ ही हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रतिवादी संख्य 2 ई बच्चुलाल शंकरलालजी गोद गया है। जिससे विधि अनुसार बच्चुलाल शंकरलालजी के गोदपुत्र की हैसियत से ही खातेदारी हक प्राप्त कर सकता है, जबकि वादग्रस्त भूमि व अन्य भूमियो में प्रतिवादी बच्चुलाल का गोदपुत्र एवं प्राकृतिक पिता की सम्पतियो में दो–दो बार नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2ई के उक्त वादपत्र में असहमति प्रकट करने का मुख्य बिन्दु यही है, जिसको छिपाते हुये वादीगण को उनके पुश्तैनी हकूको के अनुसार हिस्से बंट में आई वादग्रस्त भूमि, जो मौके पर भू0खण्ड के तौर पर ही है, का वादीगण को खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करना न्यायसंगत है। अतः वादीगण को मौजा भाटुन्द के पुराने खसरा नंबर 465, 446, 892, 827 कुल खसरा–4 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा के भू0 भाग से बने हाल खसरा नंबर 747, 749, 750, 751, 752, 748, 981, 1017 कुल खसरा–8 कुल रकबा 1.85 हैक्टर के 1/16 वा हिस्सा, की भूमि हाल खसरा नंबर 748 गैर मुमकीन तेड के उत्तर की तरफ खसरा नंबर 749 में (150X37)=5550 वर्गफीट की भूमि पर पिछले 50 वर्ष से कब्जा होने से वादीगण खसरा नंबर 749 मेंसे (150X37)=5550 वर्गफीट का राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88,89 के तहत खातेदार घोषत किया जाता हैं। वादीगण के घोषित खातेदारी में प्रतिवादी दखलन्दाजी नही करे, इस प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती हैं। इसी प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01/12/025 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner